[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 04/2022-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2022

सा. का. नि. .... (अ) केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथाविर्निष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी सं. सा.का.नि. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	सा.का.नि. सं.
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 190/1978 सीमा-शुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।	468(अ) तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।
2.	अधिसूचना सं. 191/1978 सीमा-शुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।	469(अ) तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टी.आर.यू.]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार